

**परिशिष्ट
(देखिये नियम-6)**

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

**भाग-1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)**

परियोजना का विवरण :- जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पपडियान, तौलीभूड, लांघा, ग्राम पष्टा के लोअर पीपलसार एवं अपर रुद्रपुर ग्रामों की सिप्रंकलर आधारित लिफ्ट सिंचाई योजना।

- 1 क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।
 ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।
 ग) परियोजना की लागत :- 1611.88 लाख
 घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य :- योजना की डिलेवरी पाईप लाईन नरो खड़ड से क्रारा होगी।
 ङ) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए) :- लागू नहीं।
 च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है :- 200 मानव दिवस
- 2 कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण :- डिलेवरी पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु कुल 0.85 है० भूमि की आवश्यकता है, जिसमें से 0.18 है० आरक्षित वन भूमि है तथा शेष 0.67 है० नाप भूमि है।
- 3 परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है
 क) परिवारों की संख्या :-
 ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या :-
 ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) :-

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मंजूरी :- हां/नहीं ✓
आवश्यक है ? (हां/नहीं)
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुसंधान और या दण्ड :- संलग्न है।
स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का :- संलग्न है।
व्यौरा।

दिनांक 3-09-2020

स्थान देहरादून

3/9/20
ASD

Assistant Engineer
Tubewell Sub Division-IV
Dakpathar

1
Bul.

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

नाम V. S. Patel.

मोहर अधिशासी अभियन्ता
बलकूप खण्ड
देहरादून

प्रस्ताव की क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)